2025/179

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री डी.के. गुप्ता निवासी 40, यूनिवर्सिटी रोड स्टेनवर्ड स्कूल के पास, उदयपुर।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 82 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.06.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूपर्वत को दिनांक 28.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगर पालिका आबूपर्वत कार्यालय की निविदा संख्या 17/2024–25 से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूपर्वत को दिनांक 28.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगर पालिका आबूपर्वत कार्यालय की निविदा संख्या 17/2024–25 से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आबूपर्वत से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आबूपर्वत के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अल्पा (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner